



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01102022-239277
CG-MH-E-01102022-239277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4401]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944

No. 4401]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 30 सितम्बर, 2022

यह अधिसूचना पिछली अधिसूचना संख्या सी.जी.-एम.एच.-अ.-27092022-239145 (संख्या 4360),
दिनांक 26.09.2022 का अधिक्रमण करती है।

का.आ. 4609(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (प) खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ये समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्यप्रदेश राज्य के नीमच जिले में नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना नाम कि विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व सक्षम अधिकारी नीमच, जिला-नीमच (मध्यप्रदेश) को लिखित रूप में किया जावेगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आपेक्षकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी आक्षेपों कि सुनवाई और

जाँच करने के पश्चात, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों लिए अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम कि धारा 20घ कि उप-धारा(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का नक्शा(प्लान) अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं सक्षम अधिकारी, नीमच एवं उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे के रतलाम के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकेगा।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना नाम कि विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम: नीमच

क्रमांक संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.न	खसरा संख्या	अर्जनीय क्षेत्रफल		भूमि का प्रकार सिंचित/असिंचित
					वर्ग मीटर	हेक्टेयर में	
01	नीमच	हिंगोरिया	07	474	54	0.0054	सिंचित
02	नीमच	हिंगोरिया	07	476/1	351	0.0351	सिंचित
योग					405 वर्ग मी.	0.0405	-

क्रमांक संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.न	खसरा संख्या	अर्जनीय क्षेत्रफल		भूमि का प्रकार सिंचित/असिंचित
					वर्ग मीटर	हेक्टेयर में	
01	नीमच	जमुनिया कलां	11	9	159	0.0159	सिंचित
02	नीमच	जमुनिया कलां	11	8	644	0.0644	सिंचित
योग					803 वर्ग मी.	0.0803	-

[फा. सं. ई-ऑफिस E 259252-3]

राजकुमार वानखेडे, मुख्य अभियंता/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th September, 2022

**This Notification supersedes previous Notification No. CG-MH-E-27092022-239145 (No 4360),
Dated 26.09.2022.**

S.O. 4609(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of “Special Railway Project” i.e. Nimach-Ratlam Doubling Project in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20-D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub- Divisional Officer (Revenue) & Competent Authority, Nimach, District- Nimcah (M.P.), in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector, an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Map (plan) of the land coming under this notification can be seen in the office of Sub-Divisional Officer, (Revenue) and Competent Authority, Nimach and Deputy Chief Engineer (Construction), Western Railway, Ratlam.

ANNEXURE

Brief description of land with or without structure to be acquired for special Railway project named Nimach-Ratlam Doubling project.

Name of District: Nimach

S. No.	Name of Tehsil	Name of Village	P.H. No.	Khasara No.	Land to be acquired Area		Type of Land Irrigated/Unirrigated
					In Sqm.	In Hect.	
01	Nimach	Hingoria	07	474	54	0.0054	Irrigated
02	Nimach	Hingoria	07	476/1	351	0.0351	Irrigated
TOTAL				02	405	0.0405	-

S. No.	Name of Tehsil	Name of Village	P.H. No.	Khasara No.	Land to be acquired Area		Type of Land Irrigated/Unirrigated
					In Sqm.	In Hect.	
1	Nimach	Jamuniya Kalan	11	09	159	0.0159	Irrigated
2	Nimach	Jamuniya Kalan	11	08	644	0.0644	Irrigated
TOTAL				02	803	0.0803	-

[F. No. E-Office E 259252-3]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Engineer (Construction) III